


बिहार सरकार,  
श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक- 11.08.2015


संख्या- 1/श्रम वि०स्था० (1) 10-28/2015 श्र०सं० 129 / श्री विनोद कुमार प्रसाद, श्रम अधीक्षक, सीतामढ़ी को बिहार सेवा संहिता के नियम 227 एवं 230 में निहित प्रावधान के तहत दिनांक 23.04.15 से 30.06.15 तक कुल 69 (उनहत्तर) दिनों की उपाजित छुट्टी की स्वीकृति दी जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

  
11.08.15  
(इन्दु सिंह)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-1/श्रम वि०स्था० (1) 10-28/2015 श्र०सं० 129 / पटना, दिनांक- 11.08.2015  
प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ/महालेखाकार, बिहार, पटना/अवर सचिव, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सीतामढ़ी/श्रमायुक्त, बिहार, पटना/उप श्रमायुक्त, मुजफ्फरपुर/जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी/सम्बन्धित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
11.08.15  
सरकार के उप सचिव।

